झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

सप्तम (शीतकालीन) सत्र

वर्ग-3

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, बुधवार, दिनांक- 01 पौष, 1943 (श0) / 22 दिसम्बर, 2021 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश पत्र पर अंकित रहेंगे:-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
78.	अ0सू0-04	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	पेयजल की आपूर्ति।	पे0एवं स्व0	13/12/21
79.	अ0सू0-24	श्री राजेश कच्छप	सेवा स्थायी करना।	ग्रा0वि0	17/12/21
80.	अ0सू0-17	डॉ0 सरफराज अहमद	नियुक्ति करना।	पथ निर्माण	15/12/21
81.	अ0सू0-19	श्री प्रदीप यादव	योजनाओं को पूर्ण करना।	न0वि0 एवं आ0	15/12/21
82.	अ0सू0-23	श्री डुलू महतो	ईमारत का निर्माण।	भवन नि0	17/12/21
83.	अ0सू0-28	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	दुकान का आवंटन।	न0वि0 एवं आ0	17/12/21
84.	अ0सू0-26	श्री दीपक बिरूवा	पंचायत चुनाव पर रोक।	पं0रा0	17/12/21
85.	अ0सू0-01	डॉ0 लम्बोदर महतो	पंचायत चुनाव कराना।	पं0रा0	13/12/21
* 86.	अ0सू0-11	श्री सुदिव्य कुमार	योजना की स्वीकृति।	पथ निर्माण	13/12/21
87.	अ0सू0-10	श्री अमित कुमार मंडल	स्थायी करण करना।	म0बा0वि0 एवं सा0सु0	13/12/21
88.	अ0सू0-14	श्री भानू प्रताप शाही	नया सचिवालय भवन बनाना।	न0वि0एवं आ0	13/12/21

* पथ निर्माण विभाग से ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरित।

01	02	03	04	05	06
89.	अ0सू0-21	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	संविदा कर्मियों का समायोजन	पे0ज0 एवं स्व0	15/12/21
90.	अ0सू0-20	श्री प्रदीप यादव	जाँच करना।	पेय0ज0 एवं स्व0	15/12/21
91.	अ0सू0-22	श्री विरल पूरती	अवधि विस्तार करना।	न0वि0 एवं आ0	17/12/21
92.	अ0सू0-03	प्रो0 स्टीफन मरांडी	कार्रवाई करना।	परिवहन	13/12/21
93.	अ0सू0-07	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	पुल का निर्माण	पथ निर्माण	13/12/21
94.	अ0सू0-18	प्रो0 स्टीफन मरांडी	नियुक्ति की तिथि से सरकारी लाभ देना।	ग्रा0वि0	15/12/21
* 95.	अ0सू0-16	श्री सरयू राय	दोषियों को चिन्हित करना।	पे0ज0 एवं स्व0	13/12/21
96.	अ0सू0-08	श्री सरयू राय	परियोजना का उन्नयन	न0वि0 एवं आ0	13/12/21
97.	अ0सू0-06	श्री अमित कुमार मंडल	लक्ष्य निर्धारित करना।	म0बा0वि. एवं सा0सु0	13/12/21
98.	अ0सू0-02	श्री विनोद कुमार सिंह	मानदेय का भुगतान।	म0बा0वि. एवं सा0सु0	13/12/21
99.	अ0सू0-05	डॉ0 सरफराज अहमद	सामाजिक अंकेक्षण कराना।	पं0रा0	13/12/21
# 100.	अ0सू0-25	श्री दिपक बिरुवा	कानूनी कारवाई	भवन नि0	17/12/21
101.	अ0सू0-13	श्री बंधु तिर्की	मुआवजा का भुगतान।	पथ नि0	13/12/21
102.	अ0सू0-15	श्री. भानू प्रताप शाही	निर्माण कार्य रोकना।	न0वि0 एवं आ0	13/12/21
103.	अ0सू0-12	श्री बंधु तिर्की	मुआवजा का भुगतान।	पथ नि0	13/12/21

* पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानांतरित।

\# भवन निर्माण विभाग से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में स्थानांतरित।

कृ0पृ0उ0-

104.	अ०सू०-09	डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता	योग्य लाभुकों को लाभ।	म०बा०वि. एवं सा०सु०	13/12/21
105.	अ०सू०-27	श्री अमर कुमार बाउरी	दोषियों पर कार्रवाई।	ग्रा०वि०	17/12/21

राँची
दिनांक- 22 दिसम्बर, 2021ई०।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या- झा०वि०स०-(प्रश्न)-04/2020......2536......./वि०स०, राँची, दिनांक- 20-12-2021

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/ मा०मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा मा० राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

(संजीत कुमार)
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या- झा०वि०स०-(प्रश्न)-04/2020......2536......./वि०स०, राँची, दिनांक- 20-12-2021

प्रति :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ निजी सहायक (सचिवीय कार्यालय) को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या- झा०वि०स०-(प्रश्न)-04/2020......2536......./वि०स०, राँची, दिनांक- 20-12-2021

प्रति :- कार्यवाही शाखा, वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

Niranjan

19.12.21

78

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय स. वि. स. द्वारा दिनांक 22.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं.–04 का उत्तर

क्रम सं.	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	श्री मिथिलेश ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार ने वर्ष–2024 हर घर तक नल जल से पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान समय तक नल जल आपूर्ति का कवरेज मात्र 15 प्रतिशत ही है;	वर्तमान समय में दिनांक–15.12.2021 तक राज्यांतर्गत जल जीवन मिशन के तहत् नल जल आपूर्ति का प्रतिशत 16.54% है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्ष–2024 तक हर घर में नल जल से पेयजल आपूर्ति करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जल जीवन मिशन के तहत् राज्यांतर्गत सरकार वर्ष 2024 तक हर घर में नल के माध्यम से जल की आपूर्ति के लक्ष्य के प्राप्ति हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य के जिन क्षेत्रों में सतही स्रोत उपलब्ध है, वहाँ बहु ग्रामीण जलापूर्त्ति योजना एवं जिन क्षेत्रों में सतही स्रोत नहीं है, वहाँ भूगर्भीय जल आधारित सोलर चालित लघु ग्रामीण जलापूर्त्ति योजनाएं ली जा रही हैं। सम्प्रति 75% लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योजनाओं की स्वीकृति की गई है, जिनका विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वयन की कार्रवाई की जा रही है। शेष 25% लक्ष्य के आच्छादन हेतु योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जो अंतिम चरण में है।

झारखंड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–8/अ.सू.–08/2021 – 1276/SWSM दिनांक 21/12/2021
प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं. 2377/वि. स. दिनांक–13.12.2021 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–8/अ.सू.–08/2021 – 1276/SWSM दिनांक 21/12/2021
प्रतिलिपि–सरकार के उप सचिव/अवर सचिव (प्र. – 5)/विधानसभा कोषांग के प्रभारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

79

श्री राजेश कच्छप, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 22.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – अ०सू०–24 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न कर्ता – श्री राजेश कच्छप, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तर–दाता– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम क्रियान्वित है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त योजना के सफल संचालन हेतु रोजगार सेवक, लेखा–सहायक, कम्प्यूटर सहायक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी पिछले 14 (चौदह) वर्षों से निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त कार्यरत मनरेगा कर्मियों को चौदह वर्ष कार्य करने के बाद भी न तो नियमित वेतनमान मिला है और न ही इन्हें नियमित किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। मनरेगा अन्तर्गत संविदा आधारित पदाधिकारियों / कर्मियों के नियुक्ति हेतु नियुक्ति, सेवा शर्त एवं कर्त्तव्य नियमावली, 2007 विभागीय संकल्प ज्ञापांक – 4729 दिनांक 04.06.2007 निर्गत एवं प्रवृत है। नियमावली में निहित प्रावधानों के आलोक में मनरेगा योजना के संचालन हेतु कर्मियों की नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर की जाती है। नियमावली की कंडिका – 11 (क) में यह भी प्रावधान है कि संविदा पर नियुक्त पदाधिकारियों / कर्मियों को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा। संविदा पर नियुक्त पदाधिकारियों / कर्मियों के मासिक मानदेय का भुगतान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी 6% प्रशासनिक मद की राशि से ही किये जाने का प्रावधान है। उक्त कर्मियों के मासिक मानदेय में समय–समय पर वृद्धि की जाती है।

4. यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सेवा शर्त एवं नियुक्ति नियमावली, 2007 का संशोधन कर मनरेगा कर्मियों को स्थायी करने तथा कर्मियों को बीमा एवं अवकाश देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या – 4011 दिनांक 18.08.2020 द्वारा राज्य अन्तर्गत विभिन्न विभागों में अनुबंध/संविदा पर कार्यरत कर्मियों द्वारा उनकी सेवा शर्तों में सुधार तथा नियमितिकरण के संबंध में विकास आयुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति का निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। निर्णय प्राप्त होने के उपरान्त अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 13(B)–307/वि0 स0/2021/ग्रा0 वि0 –(M) 1635 राँची, दिनांक 20-12-2021

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या – 2516 दिनांक 17.12.2021 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.12.2021
(चन्द्र भूषण)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 13(B)–307/वि0 स0/2021/ग्रा0 वि0 –(M) 1635 राँची, दिनांक 20-12-2021

प्रतिलिपि – माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव/ अवर सचिव (प्रशाखा – 03), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.12.2021
सरकार के अवर सचिव।

(80)

डॉ० सरफराज अहमद, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सं० अ०सू०–17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि सचिव–सह–विधि परामर्शी ने अपने पत्र सं०–2192, दिनांक–06 सितम्बर, 2011 के द्वारा सरकार के अधीन नियमित पदों पर प्रभारियों की नियुक्त नहीं करने का निदेश दिया गया है ;	स्वीकारात्मक। ज्ञातव्य है कि नियमित प्रोन्नति में आ रही बाधाओं के स्थायी समाधान की प्रत्याशा में विभाग द्वारा मात्र प्रोन्नति हेतु कर्णांकित पदों पर समय–समय पर कार्यहित में अभियंताओं को प्रोन्नति हेतु निर्धारित मानकों यथा–वरीयता, कालावधि, रोस्टर, स्वच्छता के आधार पर बिल्कुल अस्थायी व्यवस्था के तहत उच्चतर पदों का प्रभार दिया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा कनीय अभियंता के पदों पर नियुक्ति हेतु वर्ष 2019 में तथा सहायक अभियंता के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु संबंधित रिक्तियाँ वर्ष 2014 में ही कार्मिक विभाग के माध्यम से जे०पी०एस०सी० का भेजी गई है, परन्तु अब तक आज तक नियमित नियुक्ति नहीं होने के कारण विभागीय विकासात्मक कार्य बाधित हो रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। पथ निर्माण विभाग संवर्ग के अभियंताओं के नियुक्ति का प्रश्न है, कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता(सीधी नियुक्ति हेतु कर्णांकित पद) के पदों पर सीधी नियुक्ति की जाती है एवं इसके लिये क्रमशः झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया जाता है। • वर्ष 2019 में कनीय अभियंता के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को प्रेषित की गयी थी, जिसे का०प्र०सु० तथा रा० विभाग के ज्ञापांक–6538 दिनांक–22.10.2021 द्वारा वापस किया गया है। वर्तमान में का०प्र०सु० तथा रा० विभाग की अधिसूचना सं०–7942 दिनांक–17.11.2021 द्वारा गठित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली 2021 के आलोक में विभागान्तर्गत झारखण्ड अवर अभियंत्रण संवर्ग(कनीय अभियंता, सिविल/विद्युत/यांत्रिक) सेवा नियमावली–2013 में संशोधन की कार्रवाई की जा रही है। उक्त संशोधन के पश्चात् कनीय अभियंता के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना पुनः उचित माध्यम से झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को संसूचित की जाएगी। • विभाग द्वारा सहायक अभियंता के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु वर्ष 2014 में ही झारखण्ड लोक सेवा आयोग को संबंधित रिक्तियाँ भेजी गयी थी, जिसे झारखण्ड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति नियमावली, 2016 के लागू होने के पश्चात् झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा वापस कर दिया गया। विभाग द्वारा दिनांक–01.01.2019 के रिक्ति के आधार पर सहायक अभियंता (असैनिक) की नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को प्रेषित की गयी है। आयोग से अनुशंसा प्रतीक्षित है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के पदों पर नियमित नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

कृ०पृ०उ०.........

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :प0नि0वि0–11–अ0सू0–06/2021 3995 (S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2491 दिनांक–15.12.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 : यथोक्त।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक: प0नि0वि0–11–अ0सू0–06/2021 3995 (S) राँची/दिनांक 20/xii/21

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक: प0नि0वि0–11–अ0सू0–06/2021 3995 (S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि : श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–19 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राजधानी राँची को व्यवस्थित एवं विकास के नाम पर हरमू नदी को पुर्नजीवित करने हेतु वर्ष–2015 में 85 करोड़, अर्बन हाट निर्माण में 5 करोड़, स्लॉटर हाऊस निर्माण में 17 करोड़, टाईम स्क्वायर में 22 करोड़, सीवरेज ड्रेनेज के नाम पर 100 करोड़ रूपये खर्च की है और परिणाम शून्य है; (प्रभात खबर, दिनांक–06.12.2021)	राँची नगर निगम द्वारा योजनावार निम्नवत् प्रतिवेदित किया गया है :– (i) निगम क्षेत्र में निर्मित वधशाला वर्त्तमान में कार्यरत है एवं यहाँ पर व्यवसायिक Slaughtering किया जाता है। इस वधशाला में अबतक 150 पीस बकरे का व्यवसायिक Slaughtering किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा W.P (C) No. 5175/2018 के क्रम में वधशाला में Compulsory Slaughtring पर अंतरिम रोक लगाई गई है। (ii) पूर्व में सिवरेज–ड्रेनेज का कार्य कर रहें संवेदक को कतिपय कारणों से Terminate कर दिया गया है। शेष बचे कार्य को नव चयनित संवेदक के द्वारा कराया जा रहा है। वर्त्तमान में कार्य प्रगति पर है। (iii) अर्बन हाट निर्माण कार्य बीच में कतिपय कारणों से रोक दिया गया था। पुनः वर्त्तमान में बचे हुए कार्य को कराने हेतु डी.पी.आर. तैयार कराया जा रहा है। जुडको लि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि– (i) हरमू नदी जीर्णोद्धार योजना तकनीकी स्वीकृति प्राप्त डी.पी.आर. एवं एकरारनामा के अनुसार पूर्ण कराया जा चुका है एवं इस योजना के संचालन एवं संपोषण का कार्य कराया जा रहा है। इसकी जाँच NEERI के माध्यम से कराई जा रही है। (ii) टाईम स्क्वायर योजना के अन्तर्गत मोराबादी मैदन में LED Screen तथा संबंधित उपकरणों का अधिष्ठापन किया गया है। सभी उपकरण सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। इनका हस्तांतरण सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनुपयोगी योजनाओं पर खर्च की गयी राशि की वसूली एवं उपयोगी योजनाओं को पूर्ण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–5/न०वि०/अल्पसूचित–12/2021 ...4081 राँची, दिनांक :– 21/12/21

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं०प्र०–2486 वि०स० दिनांक–15.12.2021 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, विधायी प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
सरकार के उप सचिव।

(82)

श्री ढुलू महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–23 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य की राजधानी स्थित 56 सेट, प्रेस कोलनी में सरकारी आवास गृह बने काफी वर्ष हो चुके हैं, जिस कारण भवन जर्जर हो चुकी है ;	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 56 सेट, प्रेस कोलनी डोरण्डा स्थित राजकीय आवास गृह के स्थान पर मल्टी स्टोरी बिलडींग का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल संख्या–1, राँची के पत्रांक–4155 (अनु0) दिनांक–17.12.2021 द्वारा प्रतिवेदित है कि 56 सेट परिसर स्थित सरकारी आवास लगभग 50 वर्ष पुराने हैं, जिसकी स्थिति जर्जर है। उक्त परिसर में मल्टी स्टोरी आवासों के निर्माण हेतु परामर्शी द्वारा प्राक्कलन समर्पित किया गया है, जिसकी तकनीकी अनुमोदन/स्वीकृति हेतु जाँच की जा रही है। राज्य सरकार अपने कर्मियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा उसी स्थान या किसी अन्य स्थान पर निधि एवं उचित भूमि की उपलब्धता के आलोक में आवास का निर्माण किया जायगा।

ह0/- 23/12/21
सरकार के उप सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांक– भ0–03–विधायी–(अ0सू0–23)–34/21.....2406(अ) राँची, दिनांक– 20-12-21

प्रतिलिपि–श्री सरोज कुमार, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक–2512 वि0स0 दिनांक –17.12.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 (दो सौ प्रतियों में)सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 20/12/21
सरकार के उप सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–28 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची नगर निगम द्वारा दुकानों का निर्माण कर आवंटित किया जाता है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवाओं के लिए दुकान आवंटन में कोटा का निर्धारण नहीं किया जाता है;	स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए कोटा निर्धारित करते हुए दुकान का आवंटन करना चाहती है, हाँ, तो कबतक नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में इस तरह का कोई प्रस्ताव विभाग स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–8/अ०सू०/05/2021/न०वि०आ० 4074 राँची, दिनांक :– 21/12/2021

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं०प्र०–2517 वि०स० दिनांक–17.12.2021 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, विधायी प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/12/21
सरकार के अवर सचिव।

C:\...\Public Question & Answer\doc_...

84

माननीय स०वि०स० श्री दीपक बिरुवा द्वारा दिनांक 22.12.2021 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–26 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम–1996, दिनांक– 24.12.1996 को पारित हुआ ;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि 24 वर्ष बीत जाने के बावजूद अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पेसा– 1996 के अनुरूप न तो नियम बनाया और न ही पेसा– 1996 को अक्षरशः झारखण्ड राज्य में लागू किया गया;	अस्वीकारात्मक। प्रभु नियारन सैम्यूल सुरीन एवं अन्य बनाम भारत संघ (2549/2010) वाद में झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुसार झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम–2001 तैयार करने में संविधान तथा पेसा अधिनियम के प्रावधानों के पुरा ध्यान रखा गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा झारखण्ड उच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेश की सम्पुष्टि की गयी है।
(3) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के पत्रांक– 16016/25/2015–PESA दिनांक– 31.01.2018 द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में झारखण्ड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पेसा– 1996 के अनुरूप नियमावली बनाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के पत्रांक– 16016/25/2015–PESA दिनांक– 31.07.2015 तथा पत्रांक 16016/25/2015–PESA दिनांक 01.09.2020 द्वारा पेसा अधिनियम के अनुरुप राज्यों में मानक पेसा नियमावली बनाने का अनुरोध किया गया है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार संविधान के पांचवीं अनुसूची की मूल भवना के अनुरूप राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ऐसे अपवादों एवं उपांतरणों के अधीन रहते हुए पेसा नियमावली नहीं बनाया जाता है तब तक अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका 2 में उल्लेखित वाद तथा राकेश कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ (484–491/2006) में पारित न्यायादेश के आलोक में समस्त राज्य में वर्ष 2010 तथा 2015 में पंचायत आम निर्वाचन संपन्न कराया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव स्थगित रखने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नही है।

झारखण्ड सरकार

पंचायती राज विभाग

द्वितीय तल, एफएफपी भवन, धुर्वा, राँची– 834004

(panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com)

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि०स०)–82/2021 2543 /, राँची, दिनांकः– 21.12.2021

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 2515 दिनांक 17.12.2021 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/21

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि०स०)–82/2021 2543 /, राँची, दिनांकः– 21.12.2021

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

20/12/21

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि०स०)–82/2021 2543 /, राँची, दिनांकः– 21.12.2021

प्रतिलिपिः– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/12/21

सरकार के उप सचिव।

सुनिता/18.12.2021

E:\sunita\Madhav sir Related\Vidhan Sabha Related\Question & Answer.docx

(85)

माननीय स०वि०स० डॉ० लम्बोदर महतो से प्राप्त अल्प–सुचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–01 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल पुरा हो चुका है तथा ये कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने दायित्वों का निर्वहण कर रहे हैं;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने हेतु अपना विस्तृत कार्यक्रम सरकार से अनुमोदन हेतु विगत दो माह पूर्व भेज चुका है तथा सरकार के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्ताव लंबित है, जिसके कारण पंचायत चुनाव नहीं हो पा रहा है?	स्वीकारात्मक।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर शीध्र अनुमोदन हेतु अुए राज्य में यथाशीघ्र पंचायत चुनाव कराना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेषित कार्यक्रम छठ महापर्व के बाद कोरोना के संभावित प्रसार के कारण अनुमोदित नही किया गया। आयोग द्वारा तैयारी पूर्ण है। राज्य निर्वाचन आयोग के ज्ञापांक 1323 दिनांक 29.11.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि सभी जिलों में निर्वाचन की तैयारी पूर्ण है। पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तत्समय विधान–सभा निर्वाचन हेतु प्रवृत्त मतदाता सूची प्रयोग में लायी जायेगी। मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, जिसके अंतिम प्रकाशन की तिथि 05.01.2022 निर्धारित है। अतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 05.01.2022 को प्रकाशित मतदाता सूची का विखंडीकरण कर जिलों द्वारा उसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 10.02.2022 तक कर लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफएफपी भवन, धुर्वा, राँची– 834004
(panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com)

ज्ञापांक:– 01 स्था (वि०स०)–77/2021— 2502 /, राँची, दिनांक:–16.12.2021

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 2374 दिनांक 13.12.2021 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:– 01 स्था (वि०स०)–77/2021— 2502 /, राँची, दिनांक:–16.12.2021

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

16/12/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:– 01 स्था (वि०स०)–77/2021— 2502 /, राँची, दिनांक:–16.12.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/12/21
सरकार के उप सचिव।

सुनीता/

E:\sunita\Madhav sir Related\Vidhan Sabha Related\Question & Answer docx

(86)

दिनांक–22.12.2021 को माननीय स०वि०स० श्री सुदिव्य कुमार द्वारा सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–11 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री सुदिव्य कुमार, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूर्व में प्रत्येक विधान–सभा क्षेत्र में 15 कि०मी० सड़क बनाने हेतु राशि का प्रावधान किया जाता रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष में प्राप्त बजटीय उपबंध एवं लंबित दायित्व के आधार पर नीति निर्धारण किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में किसी भी विधान–सभा क्षेत्र में 15 कि०मी० सड़क का निर्माण हेतु योजना स्वीकृत नहीं किया जा सका है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में प्रत्येक विधान–सभा क्षेत्र में 15 कि०मी० सड़क का योजना स्वीकृत करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य संपोषित योजना अन्तर्गत 400 करोड़ का बजटीय उपबंध प्राप्त है। पूर्व से चल रही योजनाओं के लंबित दायित्व एवं वर्त्तमान बजटीय उपबंध के आलोक में प्रत्येक मा०स०वि०स० से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में औसतन 6 करोड़ रूपये की पथ निर्माण/सुदृढ़ीकरण की योजना ली गयी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–865/2021 ग्रा०का०वि०......2412......राँची/दिनांक–21.12.2021
प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2384, दिनांक–13.21.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/– 21/12/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–865/2021 ग्रा०का०वि०......2412......राँची/दिनांक–21.12.2021
प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/– 21/12/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–865/2021 ग्रा०का०वि०......2412......राँची/दिनांक–21.12.2021
प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव।

श्री अमित कुमार मंडल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–10 का उत्तर (87)

<table>
<tr><th>क्र०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि महिला बाल विकास विभाग अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों में वर्षों से अनुबंध पर कार्यरत सेविका, सहायिका एवं पोषण सखी के द्वारा मानदेय बढ़ोतरी एवं स्थायी करण की माँग करते आ रहे है;</td><td>प्रशासी विभागान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में मानदेय पर कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं आंगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) के द्वारा मानदेय बढ़ोत्तरी एवं स्थायीकरण की मांग की जाती रही है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वैसे सभी अनुबंध कर्मियों को स्थायी करण करते हुए मानदेय बढ़ोतरी की मंशा रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>1. आँगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं आंगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) को मानदेय तथा अन्य सेवा सुविधाएँ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से समय–समय पर प्राप्त दिशा–निर्देशों के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। वर्त्तमान में विभागीय संकल्प संख्या–2577 दिनांक–01.11.2019 द्वारा सेविका एवं सहायिका का मानदेय निम्नानुसार निर्धारित है –
(प्रतिमाह के आधार पर)
<table>
<tr><th rowspan="2">सेविका / सहायिका</th><th colspan="3">मानदेय</th><th rowspan="2">अतिरिक्त मानदेय (राज्य की निधि से प्रदत्त)</th><th rowspan="2">कुल मानदेय (मान०+अति० मानदेय)</th></tr>
<tr><th>केन्द्रांश</th><th>राज्यांश</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>आंगनबाड़ी सेविका</td><td>रु0 2700</td><td>रु0 1800</td><td>रु0 4500</td><td>रु0 1900</td><td>रु0 6400</td></tr>
<tr><td>लघु आंगनबाड़ी सेविका</td><td>रु0 2100</td><td>रु0 1400</td><td>रु0 3500</td><td>रु0 1200</td><td>रु0 4700</td></tr>
<tr><td>आंगनबाड़ी सहायिका</td><td>रु0 1350</td><td>रु0 900</td><td>रु0 2250</td><td>रु0 950</td><td>रु0 3200</td></tr>
</table>
2. इनके मानदेय वृद्धि एवं सेवा नियमितिकरण के संबंध में सम्प्रति भारत सरकार से कोई दिशा–निर्देश प्राप्त नहीं है, अतः इस संबंध में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार स्तर पर सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।
3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) का मानदेय बंद कर दिया गया है। इस स्थिति में अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) के मानदेय भुगतान की कार्रवाई लंबित है।
4. अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) की सेवा बनाये रखने एवं इन्हें राज्य संसाधन से मानदेय भुगतान करने संबंधी मामला सम्प्रति विभागान्तर्गत विचाराधीन है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03 / म0स0 / विधान सभा– 483 / 2021 –2446 राँची, दिनांक : 21-12-2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र सं0–2383, दिनांक–13.12.2021 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.21

(अरशद जमाल)

सरकार के अवर सचिव।

88

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू–14 का उत्तर –

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची अवस्थित झारखण्ड विधान–सभा के दोनों ओर नया सचिवालय भवन बनाने के लिए भूमि आवंटित की गयी है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि आवंटित भूमि पर सचिवालय नहीं बनाकर अन्य जगह बनायी जा रही है ;	भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड द्वारा कोर कैपिटल, साईट–1, एच०ई०सी० एरिया, राँची में निर्माण हेतु स्वीकृत सचिवालय बिल्डिंग निर्माण योजना की लागत राशि कुल 1238.92 करोड़ रू० थी। माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक–11.09.2020 को राँची स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य मद से कार्यान्वित की जानेवाली योजनाओं की समीक्षा बैठक में Smart City के Area Based Development के अंतर्गत निर्माणाधीन राज्यपोषित Convention Centre परियोजना को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपेक्षाकृत उपयोगी नहीं पाये जाने के कारण बन्द करने तथा Convention Centre के उपर स्वीकृत भवन को redesign कर सचिवालय भवन का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में प्रस्तावित सचिवालय भवन की अनुमानित लागत राशि लगभग 800.00 करोड़ रू० है, जो पूर्व में भवन निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत योजना लागत से काफी कम है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड विधान–सभा के पास आवंटित भूमि पर ही नया सचिवालय भवन बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:– 5/न०वि०/अल्पसूचित–09/2021 4075 राँची, दिनांक– 21/12/21

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय का ज्ञाप सं०प्र०–2387 दिनांक–13.12.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक 22.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–21 का उत्तर प्रतिवेदन

क्रम सं.	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	श्री मिथिलेश ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में राज्य के विभिन्न जिलों एवं प्रखण्डों में संविदा आधारित लगभग 522 कर्मी विगत कई वर्षों से कार्यरत हैं एवं अनुभव प्राप्त हैं, जिनकी सेवा समाप्त कर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा एन0जी0ओ0 के माध्यम से राज्य के 32 प्रमंडलों में कार्य लिए जाने की योजना है;	आंशिक स्वीकारात्मक। स्वच्छ भारत मिशन फेज–II के मार्गदर्शिका अनुसार नई नियुक्तियाँ की जा रही है। SBM(G) Phase-II में जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवंटित राशि सीमित होने के कारण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार की Apex Committee के समक्ष निर्णय लिया गया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन हेतु राज्य को पूर्व के भांति मानव बल की आवश्यकता नही है। इसलिए इसका पुर्नगठन में कर्मियो के चयन के क्रम में अनुभव के आधार पर प्राथमिकता एवं अधिमानता दिये जाने पर समिति द्वारा विचार किया गया है। निदेशालय स्तर से किसी NGO को SBM(G) Phase-II से संबधित कार्य नहीं दिया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि जल शक्ति मंत्रालय एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार के पत्रांक–S-11011/2/2020-SBMDDWS दिनांक–24.02.2021 के आलोक में पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मियो को नये PMU का गठन कर समायोजन करने एवं शेष नये सृजित पदो के लिए नियुक्ति प्रकिया प्रारंभ करने का आदेश है;	आंशिक स्वीकारात्मक। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र में कहा गया है कि PMU Setup करने की अनुमति राज्य एवं जिला में SBM(G) के लिए काम कर रहे मौजूदा कर्मचारियो/सलाहकारो के प्रतिस्थापन के लिए नहीं है, इस संदर्भ में तकनीकी विशेषज्ञो की सेवाओं को शामिल कर राज्यो की मदद करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान की अनुमति दी गई है। कर्मचारियों के भर्ती के दौरान, स्वच्छ भारत मिशन एवं संबधित कार्यक्रमो में काम करने वाले अनुभवी कर्मियों को प्राथमिकता/अधिमानता देने का सुझाव दिया गया है। अतः स्पष्ट है कि पत्र में समायोजन का आदेश नही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत राज्य के सभी जिला, प्रखण्डों एवं राज्य स्तर पर कार्यरत संविदा कर्मियों को 31 दिसम्बर, 2021 के बाद समायोजन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। समायोजन से संबधित वस्तुस्थिति उपरोक्त खण्ड में स्पष्ट है। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) SBM(G) एवं जल जीवन मिशन (JJM) दोनो कार्यक्रमों का क्रियान्वयन राज्य में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा ही किया जा रहा है। दोनो कार्यक्रमों में राज्य से लेकर ग्राम स्तर तक समन्वय स्थापित

कृ0पृ0उ0....

		करने की दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 32 प्रमंडलों के लिये संविदा आधारित निम्न पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है – • जिला एस0बी0एम0–सह–एस0एल0डब्लू0एम0 समन्वयक – 32 अदद • जिला एम0आई0एस0 समन्वयक – 32 अदद • जिला आई0ई0सी0 समन्वयक – 32 अदद • ब्लाक वॉस समन्वयक – 64 अदद कुल – 128 अदद इसके अतिरिक्त 199 अदद ब्लॉक वॉस समन्वयक एवं 24 अदद लेखापाल के संविदा आधारित पदों की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ कर दिया गया है। उक्त सभी पदों के नियुक्ति में वर्तमान में कार्यरत SBM(G) समन्वयकों को भी प्राथमिकता एवं अधिमान्यता देने का प्रावधान किया गया है।

झारखंड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक SBM(G)/वि०स०अल्प सूचित प्रश्न सं0–21/47/2021– 696 दिनांक 21/12/2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० 2480/वि० स० दिनांक–15.12.2021 के क्रम में 25 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/2021

संयुक्त सचिव–सह–संयुक्त निदेशक
SBM(G), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–SBM(G)/वि०स०अल्प सूचित प्रश्न सं0–21/47/2021– 696 दिनांक 21/12/2021

प्रतिलिपिः–सरकार के उप सचिव/अवर सचिव (प्र.–5)/विधानसभा कोषांग के प्रभारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/2021

संयुक्त सचिव–सह–संयुक्त निदेशक
SBM(G), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

माननीय विधायक श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं० अ०सू०-20 का उत्तर।

	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तरः–
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग में कोरोना काल में बिना कार्य संपादित कराए 10 (दस) करोड़ का घपला का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें कई कंपनियों/एजेंसियों को गलत ढंग से राशि का भुगतान कर दिया गया है ; (दैनिक भास्कर, दिनांक 10 दिसम्बर, 2021)	वस्तुस्थिति यह है कि हजारीबाग प्रमण्डल में SBM(G) मद की राशि की अनियमित एवं फर्जी निकासी से संबंधित प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में विभाग द्वारा अबतक निम्न कार्रवाई की गयी है :– 1. जांच प्रतिवेदन में अंकित पदाधिकारियों/कर्मियों यथा तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लेखापाल, SBM(G) एवं डाटा इंट्री ऑपरेटर के विरूद्ध सदर थाना, हजारीबाग में IPC की धारा–420/409/467/468/471/120(B)/34 के तहत् थाना काण्ड सं०-0478/21 दिनांक– 16.12.2021 दर्ज किया जा चुका है। 2. (i) प्रथम दृष्टया आरोपी तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, हजारीबाग से विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु स्पष्टीकरण पूछा गया है। (ii) विलंब से प्रतिवेदन देने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछा गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात् उन्हें निलंबित अथवा अन्य समुचित दण्ड का निर्धारण विभागीय कार्यवाही द्वारा की जायेगी। 3. मामले में संलिप्त संविदा कर्मियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई हेतु निदेशक, SBM(G) एवं उपायुक्त, हजारीबाग को निदेशित किया जा चुका है। 4. हजारीबाग प्रमण्डल में विगत 04 वर्षों में SBM(G) मद में हुए व्यय एवं अन्य व्यय के विस्तृत अंकेक्षण हेतु महालेखाकार से अनुरोध किया गया है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त घपला का जाँच ACB से कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–4/वि0स0–1003/2021 3405 दिनांक 21/12/21

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय के ज्ञापांक–2481, दिनांक–15.12.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/2021

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

91

श्री निरल पुरती, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–22 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग नोटिस–06 / न०वि० (TCPO) म०उ०वि०–05 / 2007–4014 (अनु०), दिनांक–27.09.2019 के द्वारा नियमितीकरण के लिए आवेदक द्वारा झारखंड भवन विधि 2016 संशोधन के विभिन्न अन्य दस्तावेजों के साथ योजना अधिसूचित होने की तिथि से 06 महीने के अंदर आवेदन देना था;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त अधिसूचना के 6 महीने होने से पूर्व ही पूरे देश में लॉकडाउन दिनांक–23.03.2020 से लग गया था, जिससे 06 महीने की अवधि भी पूरी नहीं हो सकी है;	अनाधिकृत आवासीय निर्माण को नियमितीकरण के लिए योजना, 2019 अन्तर्गत आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि–27.03.2020 थी। कोविड–19 के कारण राज्य में दिनांक–24.03.2020 से लॉकडाउन (Lockdown) प्रभावी हो गया था। इस प्रकार आवेदन प्राप्ति के 06 महीने के निर्धारित समय में लॉकडाउन के कारण 03 दिनों का कम समय उपलब्ध हो सका था।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अधिसूचना का अवधि विस्तार करते हुए आवेदकों का भवन "झारखंड भवन विधि 2016" अन्तर्गत नियमितीकरण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	सरकार स्तर पर विचाराधीन है।

झारखंड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–05 / न०वि० / अल्पसूचित–13 / 2021 4077 रॉंची, दिनांक– 21/12/21

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2513 वि०स०, दि०–17.12.2021 के आलोक में प्रतिवेदन की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव
21.12.21

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

92

माननीय श्री स्टीफन मराण्डी, स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न सं०-अ०सू०-03 का उत्तर प्रतिवेदन :-

	प्रश्नकर्त्ता माननीय श्री स्टीफन मराण्डी स०वि०स०	उत्तर माननीय श्री चम्पाई सोरेन, मंत्री परिवहन, झारखण्ड सरकार
01	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के नाला प्रखण्ड में पलास्थली रेलवे स्टेशन जो अंडाल (प०बं०) तक जोड़ने वाली पुरानी और ऐतिहासिक रेलवे परिचालन वर्षों से बंद पड़े है ;	स्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि उक्त स्टेशन से रेल परिचालन हेतु परिवहन विभाग के पत्रांक-1332, दिनांक-15.12.2015 के आलोक में विभाग द्वारा रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया था ;	स्वीकारात्मक।
03	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्षों से बंद पड़े उक्त रेल परिचालन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुतः पलास्थली रेलवे स्टेशन से अंडाल (पश्चिम बंगाल) रेलमार्ग की कुल लम्बाई 27.90 कि०मी० है। इसमें से लगभग 8.5 कि०मी० झारखण्ड राज्य में तथा शेष 19.4 कि०मी० रेलखण्ड प० बंगाल राज्य से गुजरती है। इस रेलमार्ग के नीचे अवैध कोयला खनन के फलस्वरूप विनिर्दिष्ट सुरक्षा मानकों के आधार पर रेल मंत्रालय के द्वारा रेलवे परिवहन बंद कर दिया गया है। तदालोक में रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अद्यतन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में विषयगत रेलमार्ग का विनिर्दिष्ट सुरक्षा मानकों के अनुरूप सर्वे (Survey) कराकर रेल परिचालन प्रारंभ करने के निमित्त परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-1206, दि०-21.12.2021 द्वारा रेल मंत्रालय, भारत सरकार से पुनः अनुरोध किया गया है। **(पत्र की प्रति संलग्न)**

21/12/2021
(ब्रजेन्द्र हेमरोम)
संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक -04/परि०वि०(वि.स.)-204/2021 1209 /राँची,दिनांक 21.12.2021

प्रतिलिपि-उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय राँची को उनके ज्ञापांक-2376, दिनांक 13.12.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

21/12/2021
संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।

(18)

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी.भवन, धुर्वा, राँची।

पत्रांक–04/परि०वि०(वि०स०)–204/2021 1206 /राँची, दिनांक– 21.12.2021

प्रेषक,

कमल किशोर सोन, भा०प्र०से०
सचिव,
परिवहन विभाग ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषयः **जामताड़ा जिला के नाला प्रखण्ड में पलास्थली रेलवे स्टेशन जो अंडाल (प० बंगाल) तक जोड़ने वाली रेलमार्ग पर रेल परिचालन पुनः प्रारंभ करने के संबंध में।**

प्रसंगः झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय का ज्ञाप सं०–2376, दिनांक–13.12.2021 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–1332, दिनांक–15.12.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि माननीय स०वि०स० श्री स्टीफन मराण्डी से चलते सत्र में दिनांक–22.12.2021 के लिए प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से जामताड़ा जिला के नाला प्रखण्ड में पलास्थली रेलवे स्टेशन जो अंडाल (प०बं०) तक जोड़ने वाली पुरानी और ऐतिहासिक रेल मार्ग पर पुनः रेल परियालन कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

ध्यातव्य है कि प्रस्तुत रेलमार्ग के नीचे अवैध कोयला खनन के फलस्वरूप विनिर्दिष्ट सुरक्षा मानकों के आधार पर रेल मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा रेल परिवहन बंद कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त रेलमार्ग का विनिर्दिष्ट सुरक्षा मानकों के अनुरूप सर्वे (Survey) कराकर विषयगत रेलमार्ग पर रेल परिचालन पुनः प्रारंभ करने हेतु जनहित में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 21/12/21
(कमल किशोर सोन)
सचिव
परिवहन विभाग।

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2021 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–"अ०सू०–07" का उत्तर सामग्री प्रतिवेदन :–

93

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि मेदिनीनगर, पलामू शहर की बड़ी आबादी कोयल नदी के उस पार चैनपुर एवं शाहपुर में निवास करती है ; 2. क्या यह बात सही है कि मेदिनीनगर से गढ़वा होते हुए छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले अत्यन्त महत्वपूर्ण पथ में कोयल नदी पर निर्मित पुल सिंगल होने के साथ–साथ काफी पुराना हो चुका है, जिसकारण आए दिन जाम की समया और गंभीर दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कोयल नदी पर नया चार लेन का पुल बनाकर लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाकर दुर्घटनाओं से बचाना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	डालटेनगंज–चैनपुर पथ पर यह पुल अवस्थित है। जिसकी लंबाई–450 मीटर तथा चौड़ाई–10 मीटर है सम्प्रति यह पुल सिंगल लेन (3.75 मीटर) नहीं है। संभाव्यता प्रतिवेदन एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर पुल के चौड़ीकरण/नये पुल की योजना पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–अ०सू०–07/2021 4004(5) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– श्री सरोज कुमार, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 2380 दिनांक 13.12.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 20/12

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–अ०सू०–07/2021 4004(5) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 20/12

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–अ०सू०–07/2021 4004(5) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

ह०/- 20/12

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(94)

प्रो० स्टीफन मराण्डी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त पूछा गया अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-
अ० सू०- 18 के संबंध में।

अल्प-सूचित प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि अविभाजित बिहार में पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना के ज्ञापांक-12294, दिनांक-29.12.1983 द्वारा महिला प्रसार पदाधिकारियों के पदों का सृजन किया गया एवं तद्नुसार नियुक्ति हेतु प्रमण्डलीय स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया था ;	स्वीकारात्मक. ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना के ज्ञापांक- 12294, दिनांक- 29.12.1983 के अनुसार महिला प्रसार पदाधिकारियों का पद अस्थायी है।
2. क्या यह बात सही है कि विज्ञापन एवं नियुक्ति पत्र में अंकित शर्तों के अनुसार महिला प्रसार पदाधिकारी सरकारी सेवक की कोटि में रखा गया है ;	अस्वीकारात्मक. कतिपय प्रमण्डल के उपलब्ध विज्ञापन अभिलेख तथा नियुक्ति पत्र के अनुसार महिला प्रसार पदाधिकारियों की नियुक्ति अस्थायी पद के विरूद्ध की गयी है।
3. क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार के पत्रांक-645 दिनांक-15.01.1988 तथा विभागीय अधिसूचना सं0- 15735 दिनांक- 05.12.2008 के अनुसार महिला प्रसार पदाधिकारी बिहार में सरकारी सेवक के रूप में कार्यरत है ;	आंशिक स्वीकारात्मक. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक- 4585 दिनांक- 03.06.1998 के द्वारा पूर्व निर्गत विभागीय पत्रांक- 645 दिनांक- 15.01.1988 को तत्कालिक प्रभाव से विलोपित किया गया है तथा इन्हें जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारी के समान सुविधाएँ अनुमान्य है। ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं0- 15735 दिनांक- 05.12.2008 द्वारा कार्यरत महिला प्रसार पदाधिकारियों की सेवा विनियमित की गयी है।
4. क्या यह बात सही है कि किसी भी सेवा काल के मध्य में सेवा शर्तों में परिवर्तन कर झारखण्ड में इन्हें सरकारी सेवक न मान कर ए०सी०पी०, एम०ए०सी०पी० इत्यादि लाभों से वंचित किया जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक. बिहार विभाजन के समय महिला प्रसार पदाधिकारी के पद का स्वरूप अस्थायी था। अतः इन पदों पर कार्यरत कर्मी सरकारी सेवक नहीं हैं। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश सं0- 21 दिनांक- 03.02.2011 द्वारा महिला प्रसार पदाधिकारियों को सरकारी सेवक घोषित नहीं करने का निर्णय लिया गया है। पुनः माननीय उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या- 1845 दिनांक- 16.05.2018 के द्वारा इन कर्मियों के सेवाशर्त का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार इन्हें ए०सी०पी० अथवा एम०ए०सी०पी० का लाभ अनुमान्य नहीं है।
5. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविभाजित बिहार में नियुक्त महिला प्रसार पदाधिकारियों को वर्तमान में बिहार के तर्ज पर इस राज्य में रह गई महिला प्रसार पदाधिकारियों को भी उनकी नियुक्ति की तिथि से सरकारी लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?	महिला प्रसार पदाधिकारी के पद को सरकारी सेवक घोषित किये जाने का मामला माननीय उच्च न्यायालय, राँची में विचाराधीन है। दायर वादों में न्यायादेश प्रतीक्षित है।

झारखण्ड सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक- 11- 03- वि०स० (DRDA)/2021/ 4510, /ग्रा०वि०, राँची, दिनांक- 20/12/2021

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0- 2492 दिनांक- 15.12.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/2021

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 11– 03– वि०स० (DRDA)/2021/ 4510, /ग्रा०वि०, राँची, दिनांक– 20/12/2021

प्रतिलिपि:– माननीय स० वि० स०, प्रो० स्टीफन मराण्डी के आप्त सचिव, झारखण्ड/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 20/12/2021

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 11– 03– वि०स० (DRDA)/2021/ 4510, /ग्रा०वि०, राँची, दिनांक– 20/12/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, प्रशाखा– 3, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 20/12/2021

सरकार के अवर सचिव।

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 22.12.2021 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०– 16 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि मोहरदा पेयजल परियोजना, जमशेदपुर का निर्माण 2009 में पूरा हो गया और 2017 में इसका परिचालन एवं अनुरक्षण जुस्को को सौंप दिया गया;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि परियोजना के डी०पी०आर० में इंटेक वेल के बाद सेटलिंग पौंड एवं टंकियों के साथ जी०एस०आर० का प्रावधान होने तथा विभिन्न टंकियों को भरने के लिये अलग– अलग पाईप लाइन नहीं होने के कारण घरों तक ससमय पेयजलापूर्ति होना संभव नहीं है;	वस्तुस्थिति यह है कि परियोजना अन्तर्गत Intake well/ WTP से 02 अदद् राईजिंग पाईप में से 01 अदद् राईजिंग पाईप से मोहरदा स्थित 01 जलमीनार, बिरसानगर स्थित 04 अदद् जलमीनार तथा 01 अदद् GSR से घरों में जलापूर्ति की जाती है। दूसरे राईजिंग पाईप से बागुनहातु में 01 अदद् जलमीनार एवं बागुननगर (बारीडीह) में 01 अदद् जलमीनार के माध्यम से पानी भर कर घरों में जलापूर्ति की जाती है। यह योजना 2017 तक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित थी। इस अवधि में पेयजलापूर्ति सुचारू रूप से की जा रही थी। वर्ष 2017 को यह योजना नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तान्तरित कर दी गयी है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा यह योजना JUSCO को हस्तान्तरित की गयी है।
3.	क्या यह बात सही है कि नदी के भीतर इंटेक वेल की जगह सही नहीं होने के कारण पम्प में कचरा फँस जाता है और जलापूर्ति बाधित हो जाती है;	Intake well में गर्मी में भी पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता है, जिससे Design के अनुरूप WTP में जलापूर्ति की जाती है। साथ ही पर्याप्त मात्रा में Intake well में जल की उपलब्धता हेतु Weir का निर्माण किया गया है। Intake well के जलदोहन संरचना Rose piece के जाली क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण एवं Up Stream में नगर निगम द्वारा कचड़ा डम्प करने के कारण कचड़ा नदी में बह कर आने से इंटेक के पम्प में कचड़ा फँस जाता है। इंटेक के Rose piece के जाली मरम्मति करा देने एवं नगर निगम द्वारा Up Stream में कचड़ा डम्प नहीं करने से समस्या का सामाधान हो पायेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा योजना के सुदृढीकरण एवं Intake well Modification हेतु राशि रूपये 27,24,55,200/– (सत्ताईस करोड़ चौबीस लाख पचपन हजार दो सौ रूपये) के योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी। जिससे संबंधित कार्य JUSCO के द्वारा किया जाना है। इस संबंध मे नगर विकास विभाग से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बतायेगी कि अनुपयुक्त डी०पी०आर० तैयार करने के लिये कौन दोषी है और इसमें क्या सुधार करना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका– 02 एवं 03 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/अ०सू०– 01–41/2021– 3421 रॉंची, दिनांक :– 21/12/21

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 2389, दिनांक– 13.12.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/21

(किशोर कुमार वर्मा)–
संयुक्त सचिव (प्र०को०)।

ज्ञापांक :– 7/अ०सू०– 01–41/2021– 3421 रॉंची, दिनांक :– 21/12/21

प्रतिलिपि :–संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/21

(किशोर कुमार वर्मा)–
संयुक्त सचिव (प्र०को०)।

21.12.2021

श्री सरयु राय, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू–08 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर की मोहरदा पेयजल परियोजना सरकार 2017 में हुए समझौता के अनुसार जुस्को द्वारा परिचालित है और इसके उन्नयन एवं मरम्मति पर सरकार और जुस्को को 40 और 60 के अनुपात में व्यय करना है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि विगत चार वर्षों में मोहरदा पेयजल परियोजना का समुचित उन्नयन एवं मरम्मत नहीं हुआ है जिस कारण परियोजना क्षेत्र के विभिन्न मुहल्लों में कहीं सुबह 7बजे, कहीं दोपहर 2बजे, कहीं शाम 7 बजे पेयजल की आपूर्ति होती है, वह भी स्वच्छ नहीं ;	जुस्को लि०, जमशेदपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर DPR के अनुसार मोहरदा पेयजल परियोजना का उन्नयन एवं आवर्धन किया गया है। प्रतिदिन सुबह 05.00 बजे के पहले पेयजल की आपूर्ति प्रारम्भ हो जाती है और यह 12–13 घंटों तक पूरे क्षेत्र को अच्छादित की जाती है तथा 24 घंटे उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जाता है। इस संदर्भ में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा जुस्को लि० को मोहरदा पेयजल परियोजना का समय–समय पर समुचित उन्नयन एवं मरम्मत का कार्य करने एवं पेयजल की शुद्धता की जाँच कर उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने हेतु भी कार्य किया गया है। इस निमित्त जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति एवं जुस्को के साथ कई बार बैठक कर शुद्ध पेय जलापूर्ति के संबंध में दिशा–निदेश दिया जाता रहा है। साथ ही मोहरदा जलापूर्ति परियोजना के द्वारा आपूर्ति की जा रही पेयजल की शुद्धता के संबंध में उपभोक्ताओं से कोई शिकायत प्राप्त होने पर अविलम्ब जमशेदपुर अक्षेस द्वारा संबंधित एजेन्सी जुस्को लि०, जमशेदपुर को शिकायतों का अविलम्ब निवारण कर शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने का निदेश दिया जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि परियोजना की डिजाईन सही नहीं होने के कारण इसकी टंकियाँ समय पर नहीं भर पाती है, टंकियों की सफाई गत 12वर्ष से नहीं हुई है, इसके इंटेक वेल के पम्प में अक्सर कचरा फँस जाता है और परिचालन बाधित हो जाता है ;	जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कुल 8 पानी टंकियों में से 4 पानी टंकियों की सफाई कर दी गयी है। अवशेष 4 पानी टंकियों तक पहुँचने में कठिनाई होने के कारण अस्थायी तौर पर Access का निर्माण कर सफाई का कार्य कराया जायेगा। इंटेक में नदी से आये Plastic/trash materials आदि कारणों से इंटेक वेल के पम्प में फँस जाने से परिचालन बाधित हो जाता है, यह स्थिति ज्यादातर बरसात के मौसम में होती है, जिसकी साफ–सफाई कराकर पुनः पेयजलापूर्ति बहाल की जाती है। इस संदर्भ में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति कार्यालय का पत्रांक–3385 दिनांक–15.12.2021 द्वारा

		द्वारा प्रश्नगत मामले की जाँच हेतु नगर प्रबंधक एवं तकनीकी टीम को निदेश दिया गया है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही शुद्ध पेयजल की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रखने हेतु जुस्को लि० को समुचित एवं आवश्यक कदम उठाने हेतु दिशा निदेश दिया जायेगा।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नया डीपीआर तैयार कर मोहरदा पेयजल परियोजना का उन्नयन एवं मरम्मत करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5/न०वि०/अल्पसूचित–11/2021 4078 राँची, दिनांक– 21/12/21

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०–2381 दिनांक–13.12.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21.12.21

सरकार के उप सचिव।

श्री अमित कुमार मंडल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–06 का उत्तर (97)

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत :– (क) मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (ख) मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना (ग) स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना उक्त तीनों योजनाओं में लक्ष्य से ज्यादा आवेदन पत्र जिले में पूर्व से लम्बित है;	विभागीय संकल्प सं0–2174, दिनांक–18.11.2021 सह पठित विभागीय संकल्प सं0–2289, दिनांक–03.12.2021 द्वारा राज्य संचालित सभी पेंशन योजनाओं में पूर्व निर्धारित लक्ष्य की बाध्यता को विलोपित कर दिया गया है ताकि सभी योग्य लाभुकों को पेंशन योजना के लाभ से आच्छादित किया जा सके। आपके अधिकार आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम द्वारा शिविर का आयोजन कर राज्य संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से संबंधित आवेदन का संग्रह किया जा रहा है ताकि सभी योग्य लाभुकों को पेंशन योजना के लाभ से आच्छादित किया जा सके।
2.	क्या यह बात सही है कि आपके अधिकार आपकी सरकार, आपके द्वार के अन्तर्गत सरकार राज्यभर में शिविर के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा से संबंधित आवेदन संग्रह कर रही है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड एक के आलोक में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं में लक्ष्य की बढ़ोतरी किये बगैर खण्ड दो में वर्णित कार्यक्रम का औचित्य सिर्फ सरकारी राशि का दुरुपयोग व समय की बरबादी मात्र है;	अस्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प सं0–2174, दिनांक–18.11.2021 सह पठित विभागीय संकल्प सं0–2289, दिनांक–03.12.2021 द्वारा राज्य संचालित सभी पेंशन योजनाओं में पूर्व निर्धारित लक्ष्य की बाध्यता को विलोपित कर दिया गया है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गोड्डा जिला समेत राज्य के अन्य जिलों में सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत प्राप्त पत्र आवेदन के आलोक में एवं पुराने लम्बित आवेदन पत्र के आधार पर लक्ष्य की बढ़ोतरी का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2174 दिनांक–18.11.2021 सह पठित विभागीय संकल्प सं0–2289, दिनांक–03.12.2021 के द्वारा राज्य योजनान्तर्गत संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को सार्वभौमिक (Universal) पेंशन योजना का स्वरूप देते हुए पूर्व निर्धारित लक्ष्य की बाध्यता को विलोपित कर दिया गया।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/विधान सभा– 481/2021 –2447 राँची, दिनांक : 21-12-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0– 2379/ वि0स0 दिनांक–13.12.2021 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.21

(अरशद जमाल)
सरकार के अवर सचिव।

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 22.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–02 का उत्तर 98

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि किशोरियों के स्व विकास और सशक्तीकरण, एवम् उनके पोषण व स्वास्थ्य में सुधार हेतु झारखण्ड के 17–जिलों में 'पोषण सखी' का चयन किया गया था;	अस्वीकारात्मक। केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत झारखण्ड राज्य के छ: जिलों यथा धनबाद, दुमका, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा एवं गोड्डा में किशोरियों के स्व विकास सशक्तिकरण एवं पोषण, स्वास्थ्य सुधार हेतु अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) का चयन किया गया था।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के पोषण सखी के गत 8–माह का मानदेय बकाया है, जिससे ये स्वयं अभावग्रस्त है ;	स्वीकारात्मक। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) का मानदेय बंद कर दिया गया है। इस स्थिति में पोषण सखी के मानदेय भुगतान की कार्रवाई लंबित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार तत्काल इनका बकाया मानदेय भुगतान का विचार रखती है, हाँ, तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) की सेवा बनाये रखने एवं इन्हें राज्य संसाधन से मानदेय भुगतान करने संबंधी मामला सम्प्रति विभागान्तर्गत विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म०स०/विधान सभा– 480/2021 –2448 राँची, दिनांक : 21-12-2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0– 2375, दिनांक–13.12.2021 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.21

(अरशद जमाल)
सरकार के अवर सचिव।

(99)

माननीय स०वि०स० डॉ० सरफराज अहमद से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- अ०सू०-05 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण विकास हेतु दी गयी अनुदान राशि का सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रतिवर्ष प्रखण्ड/जिला से उपलब्ध कराने का प्रावधान है;	अस्वीकारात्मक। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक N-11019/8/2017-FD दिनांक 14.09.2021 सामाजिक अंकेक्षण के दिशा निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश की कंडिका 2.5 के अनुसार 15वें वित्त आयोग की राशि के उपयोगिता के सामाजिक अंकेक्षण तीन वर्षो में एक बार कराने का प्रावधान है।
(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के कुल 1500 पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2020-21 में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य नहीं कराया गया है;	अस्वीकारात्मक। सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा वित्तीय वर्षो 2018-19, 2019-20, 2020-21 में कुल 5004 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास के तहत संचालित तथा वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 में 243 ग्राम पंचायतों में अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया गया है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड-01 में वर्णित वित्तीय वर्षो का सामाजिक अंकेक्षण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक N-11019/8/2017-FD दिनांक 14.09.2021 सामाजिक अंकेक्षण के दिशा निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश की कंडिका 4.1 के आलोक में मनरेगा अंतर्गत सोशल ऑडिट यूनिट को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में पंजीकृत करने के संबंध में कार्रवाई प्रारंभ है।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफएफपी भवन, धुर्वा, राँची- 834004
(panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com)

ज्ञापांक:- 01 स्था (वि०स०)-78/2021 2541 /, राँची, दिनांक:- 21.12.21

प्रतिलिपि:- 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 2378 दिनांक 13.12.2021 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/21

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 01 स्था (वि०स०)-78/2021 2541 /, राँची, दिनांक:- 21.12.21

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

21/12/21

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 01 स्था (वि०स०)-78/2021 2541 /, राँची, दिनांक:- 21.12.21

प्रतिलिपि:- उप सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/12/21

सरकार के उप सचिव।

E:\sunita\Madhur sir Related\Vidhan Sabha Related\Question & Answer.docx

(100)

श्री दीपक बिरुवा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-22.12.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ॰सू॰-25 से संबन्धित उत्तर : -

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि प॰ सिंहभूम अन्तर्गत कोल्हान विश्वविद्यालय परिसर में 6 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम बनकर तैयार है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। ऑडिटोरियम की स्वीकृत राशि 5,39,06,000/- रूपये है।
2.	क्या यह बात सही है कि गुणवत्ता की अनदेखी एवं घटिया स्तर के सामग्रियों का इस्तेमाल होने के कारण विभाग को हैंडओवर से पूर्व ही भवन में कई दरारें पड़ गई है ;	कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के पत्र संख्या-1742 दिनांक-20.12.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि "ऑडिटोरियम भवन की गुणवत्ता की जाँच के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्माण सामग्रियों के संबंध में Rebound Hammer करवाने का निदेश दिया गया है। Rebound Hammer test report के अवलोकन के पश्चात् कनीय अभियंता, झारखण्ड राज्य भवन नि॰लि॰, पी॰आई॰यू॰, चाईबासा द्वारा इसे संतोषजनक पाये जाने की बात कही गई। भवन में कुछ एक जगहों पर दरार पड़ गई थी, जिसे संवेदक द्वारा मरम्मत करवा लिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लिया गया है कि तृतीय पक्ष (Third Party) के द्वारा गुणवत्ता के जाँच के उपरांत ही भवन का Handover लिया जायेगा।"
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार डी॰पी॰आर॰ के अवरूद्ध कार्य करानेवाले पदाधिकारियों/संवेदक की जाँच करते हुए कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका- 1 एवं 2 में निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

—

ज्ञापांक- 01/वि0स0-42/2021 1788/ रांची, दिनांक- 21/12/2021/

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक-2511 दिनांक-17.12.2021 के प्रसंग में (200 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(101)

श्री बंधु तिर्की, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 22.12.2021 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–"अ0सू0–13" का उत्तर सामग्री प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि गुमला जिला अन्तर्गत बसिया प्रखण्ड के ग्राम–कुड़लगा के पुतरी टोली, टिम्बर मोड से बेराइरगी कोयल नदी तक पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के तहत वर्ष–2014–15 में सैकड़ों रैयतों का भू–अर्जित की गयी है ; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ का निर्माण कार्य वर्ष–2016–17 में पूर्ण हो चुका है, परन्तु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान अभी तक लंबित है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्रभावित रैयतों को मुआवजा की राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं तो क्यों ?	ग्रामीण कार्य विभाग से हस्तानान्तारित उक्त पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण फरवरी 2018 में पथ निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण कराया गया है। यह पथ, गुमला तथा सिमडेगा जिला में अवस्थित है। भू–अर्जन हेतु जिला भू–अर्जन कार्यालय, गुमला द्वारा रू0 4,74,83,414.00 की अधियाचना की गई थी, जो उपलब्ध करा दिया गया है। भू–अर्जन की राशि में वृद्धि के कारण प्राक्कलित लागत में वृद्धि हुई है। जिसकी वजह से प्राक्कलन का पुनरीक्षण किया गया है। जिला भू–अर्जन कार्यालय, सिमडेगा से रू0 5,46,11,028.00 का अधियाचना प्राप्त हुआ है। जो प्रक्रियान्तर्गत है सम्प्रति शीघ्र आवंटन उपलब्ध करा दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–13/2021 4006(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– श्री सरोज कुमार, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 2386 दिनांक 13.12.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

20/12

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–13/2021 4006(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

20/12

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–13/2021 4006(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

102

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू–15 का उत्तर –

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची अवस्थित स्मार्ट सिटी में कौशल विकास केन्द्र खोलने के लिए भूमि आवंटित की गयी थी ;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि जो भूमि कौशल विकास केन्द्र के लिए चिन्हित की गयी थी उसी भूमि पर मंत्रियो के लिए आलीशान बंगला बन रही है ;	स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार नियम विरूद्ध बनाये जा रहे मंत्रियों के आलीशान बंगले के निर्माण कार्य को रोकने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक– 11.09.2020 को हुई समीक्षात्मक बैठक में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए प्राप्त भूमि पर माननीय मंत्रीगण के आवास हेतु 12 बंगलों का निर्माण ABD area में प्लॉट नं०–01 पर किये जाने का निर्देश दिया गया है, जिसे पूर्व में Skill Development Park के रूप में चिन्हित किया गया था। उपर्युक्त प्रस्ताव पर झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–28.01.2021 को आयोजित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPSC) की बैठक में सहमति दी गई। समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान में भविष्य में होने वाले संशोधन में Skill Development Park के लिए भूमि चिन्हित करने पर प्राथमिकता दी जाएगी। राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के द्वारा दिसम्बर 2020 में प्रथम चरण में भू–खण्डों की नीलामी की गई। परन्तु किसी भी संस्थागत भूखंड की नीलामी में कोई रूचि नहीं दिखलाई। Skill Development Park के लिए चिन्हित भूखंड भी संस्थागत श्रेणी में आता है। भूखंडकों की नीलामी का दूसरा चरण, जो अभी समाप्त हुआ है, निविदादाताओं ने संस्थागत भूखंडों पर बहुत कम रूचि दिखलाई है। भूखंडों की नीलामी के तीसरे चरण के बाद मास्टर प्लान का संशोधन किया जाएगा और जैसा कि राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPSC) के द्वारा सुझाया गया है, Skill Development Park के लिए एक भूखंड को चिन्हित करने पर प्राथमिकता दी जाएगी।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:– 5/न०वि०/अल्पसूचित–10/2021 4076 राँची, दिनांक– 21/12/21

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय का ज्ञाप सं०प्र०–2388 दिनांक–13.12.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव। 21.12.21

rk_D_2021_Vidhan Sabha_189

103

श्री बंधु तिर्की, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2021 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–"अ०सू०–12" का उत्तर सामग्री प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि गुमला जिला अन्तर्गत सिसई प्रखण्ड के सिसई, कुम्हार मोड़ से घाघरा तक पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (लम्बाई–31 कि०मी०) के तहत वर्ष–2019–20 में सैकड़ों रैयतों का भू–अर्जित की गयी ; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ का निर्माण कार्य वर्ष 2019–20 में पूर्ण हो चुका है, परन्तु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान अभी तक लम्बित है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्रभावित रैयतों को मुआवजा की राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं तो क्यों ?	पथ निर्माण कार्य उपलब्ध भूमि पर की गई है। पूर्व में BPDP (बिहार पठारी विकास योजना) द्वारा इस पथ में भू–अर्जन का कार्य किया गया है। इस संबंध में झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार, राँची के द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गुमला से BPDP (बिहार पठारी विकास योजना) अंतर्गत अर्जित भूमि के बारे में पृच्छा की गई है एवं जिसके निमित्त कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, गुमला के पत्रांक–647, दिनांक–08.12.21 द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गुमला से अनुरोध किया गया है। उनसे प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–अ०सू०–12/2021 4005(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– श्री सरोज कुमार, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 2385 दिनांक 13.12.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–अ०सू०–12/2021 4005(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–अ०सू०–12/2021 4005(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–09 का उत्तर

(104)

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करनेवाले वृद्धों, विधवाओं एवं दिव्यांगों की आर्थिक सहायता हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रुप में प्रतिमाह एक हजार रुपये दिया जाता है;	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत संचालित राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को पेंशन योजनाओं के तहत प्रतिमाह रु0 1000/– (एक हजार रुपये मात्र) दिया जाता है। राज्य संचालित पेंशन योजनाओं में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने की बाध्यता नहीं है। अधिक से अधिक लाभुकों को पेंशन योजना से आच्छादित करने के उद्देश्य से विभागीय संकल्प सं0–2174, दिनांक–18.11.2021 सह पठित विभागीय संकल्प सं0–2289, दिनांक–03.12.2021 द्वारा राज्य पेंशन योजनाओं को सरलीकृत करते हुए सार्वभौमिक पेंशन योजना का स्वरुप दिया गया है, जिसके तहत राज्य के सभी योग्य लाभुकों को पेंशन योजना से आच्छादित किया जा सकेगा।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों के दृष्टिगत अधिकांश लाभुकों को पेंशन का लाभ देने को प्रयासरत है तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में लक्ष्य निर्धारित होने के कारण मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लक्ष्य 7,30,000 किये जाने के बाद भी सभी योग्य व्यक्तियों को इसका लाभ नही मिल पा रहा है;	विभागीय संकल्प सं0–2174, दिनांक–18.11.2021 सह पठित विभागीय संकल्प सं0–2289, दिनांक–03.12.2021 द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्य की बाध्यता को विलोपित कर दिया गया है। आपके अधिकार आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम द्वारा शिविर का आयोजन कर राज्य संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से संबंधित आवेदन का संग्रह किया जा रहा है ताकि सभी योग्य लाभुकों को पेंशन योजना के लाभ से आच्छादित किया जा सके।
3.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के पांकी प्रखण्ड में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित कर्मचारियों की मिलीभगत से कई 60 वर्ष के काफी कम उम्र के लोगों तथा अयोग्य लाभुकों का पेंशन स्वीकृत कर कोटा पूर्ण होने की बात कही जाती है, जिस कारण कई योग्य लाभुक पेंशन से वंचित रह गए है;	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पांकी, पलामू के पत्रांक–1652 दिनांक–17.12.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सभी योग्य लाभुकों का नियमानुसार पेंशन स्वीकृत किया गया है। अयोग्य लाभुकों को पेंशन देने संबंधी कोई भी मामला वर्त्तमान में प्रकाश में नहीं आया है। 2. विभागीय पत्रांक–2435, दिनांक–20.12.2021 द्वारा उपरोक्त संदर्भ में उपायुक्त, पलामू से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दोषी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं कर्मचारियों पर जाँचोपरान्त कार्रवाई करने एवं अयोग्य लाभुकों का नाम विलोपित करते हुए योग्य लाभुकों को उनका वास्तविक अधिकार दिलाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभागीय पत्रांक–2435, दिनांक–20.12.2021 द्वारा उपरोक्त संदर्भ में उपायुक्त, पलामू से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/विधान सभा– 482/2021 –2445 रॉची, दिनांक : 21-12-2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉची को उनके ज्ञाप सं0–2382/वि0स0 दिनांक–15.12.2021 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.21

(अरशद जमील)

सरकार के अवर सचिव।

/105

श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय स०वि०स० द्वारा सदन में दिनांक– 22.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–27 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र. सं.	अल्पसूचित प्रश्न	उत्तरदाता, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1.	क्या यह बात सही है कि रूर्बन मिशन के तहत बोकारो जिला के चंदनकियारी प्रखण्ड में कई योजनाएं चल रही है, इसमें अधिकारी, ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिससे सरकारी राजस्व की हानि हो रही है ;	अस्वीकारात्मक उप विकास आयुक्त, बोकारो के पत्रांक– 1307 / अभि०, दिनांक–20.12.2021 के अनुसार रूर्बन मिशन के तहत खुली निविदा के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी का चयन कर स्वीकृत योजनाओं का उनके DPR/प्राक्कलन में अंकित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के साथ कार्य कराया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि रूर्बन मिशन के तहत चल रहे सभी प्रोजेक्ट में सिर्फ पैसों की बंदरबांट हो रही है, साथ ही इन योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन में स्थानीय जनप्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है ;	अस्वीकारात्मक
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार रूर्बन मिशन के तहत कराये जा रहे कार्यों का निष्पक्ष जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि की उद्घाटन एवं शिलान्यास में भागीदारी सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक:–09-SPMRM-19/2021/ 4515 . /ग्रा०वि०, राँची, दिनांक– 21/12/2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०– 2514 / वि०स० दिनांक 17.12.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.2021

(चन्द्र भूषण)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:–09-SPMRM-19/2021/ 4515 . /ग्रा०वि०, राँची, दिनांक– 21/12/2021

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव / श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय स०वि०स० के आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.2021

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:–09-SPMRM-19/2021/ 4515 , /ग्रा०वि०, राँची, दिनांक– 21/12/2021

प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा– 03 को प्रश्नगत अल्पसूचित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.2021

सरकार के अवर सचिव।